न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-393RAAJodhpur2022-243RTA225 Harisingh ors Vs Nathusingh etc

01. हरीसिंह पुत्र रणजीत सिंह, जाति राजपूत, निवासी- सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
02. जय सिंह पुत्र हरी सिंह, जाति राजपूत, निवासी- सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
03. श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी श्री भोपाल सिंह जाति राजपूत, निवासी- सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती विनोद कंवर पत्नी श्री उमराव सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी- सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नाथूसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह जाति राजपूत, निवासी- सरेचा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2021 नाथु सिंह बनाम हरीसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री हनवंतसिंह बालोत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या दो

नि र्ण य

29.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 29 सितंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2021 नाथुसिंह बनाम हरीसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 102 ग्राम सरेचा तहसील लूणी में आने-जाने हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 103 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना कोई साक्ष्य लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा जहॉ से रास्ता चाहा गया है, उस स्थल के पड़ौस नहीं दर्शाये है और न ही पड़ौसी खातेदारान् का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को पड़ौस के दोनो खातेदारान् के मध्य स्थित माठ के सहारे-सहारे रास्ता देना चाहिए था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के खातेदारी खेत में से ही 30 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया है, जबकि एक काश्तकार को अपनी काश्त में जाने के लिए 30 फीट चौड़े रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किये बिना

29.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता प्रदान किया गया है जो कतई विधिसम्मत नहीं है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2021 नाथुसिंह बनाम हरीसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 को खारिज फरमाया जावे तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर कम नुकसान वाला रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम दूरी वाला रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 22 जून 2022 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 102 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 103 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया हैं तथा रास्ते में काम में आने वाली भूमि का रकबा 0.05 बीघा बताया गया

29.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। उक्त मौका फर्द में अपीलाधीन रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट एक के आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना नहीं बताया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता 30 फीट चौड़ाई का दिया है। रास्ते की चौड़ाई अत्यधिक होने से अपीलांट्स खातेदारी भूमि का रकबा अनावश्यक ही रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा। अदालत हाजा की राय में काश्तकार को अपनी काश्त तक जाने हेतु 18 फीट चौड़ाई का रास्ता ही पर्याप्त होता है। अत्यधिक चौड़ाई के रास्ते से भूमि का रकबा अनावश्यक ही रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा तथा काश्तकार को हानि होगी।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2021 नाथुसिंह बनाम हरीसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 में खसरा नं. 103 में सें प्रदत रास्ते की चौड़ाई 30 फीट के स्थान पर 18 फीट की जाती है। तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि 18 फीट चौड़ाई अनुसार खसरा नं. 103 में सें रास्ते के रकबे की गणना करे। परिवर्तित रकबे अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा डी.एल. सी. दर की दुगुनी राशि खसरा नं. 103 के खातेदारान्/ अपीलांट्स को अदा कर दिये जाने पर राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करते हुए तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.9.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर